

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश: जबलपुर

// आदेश //


कमांक.....2/7805 / चार-9-54 / 23

जबलपुर, दिनांक 12 / 11 / 2024

रजिस्ट्री आदेश कमांक 187/गोपनीय/2024 जबलपुर दिनांक 28.02.2024 द्वारा श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, (यूनिक इम्पलाई कोड 370003178) (सेवानिवृत्त) द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को प्रधान जिला न्यायाधीश (सुपर समय वेतनमान) (Super Time Scale) रूपये 199100-224100/- में नियुक्ति होने तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र कमांक 2109/2018/21- ब(एक) दिनांक 28.04.2018 एवं क.1464/21-ब(एक) दिनांक 25.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

| चयनग्रेड वेतनमान रु० 163030 - 219090 / - में प्राप्त वेतन व दिनांक | सुपर समय वेतनमान रु० 199100 - 224100 / - में नियुक्ति का दिनांक | सुपर समय वेतन में आगामी वे०वृ० का दिनांक | सुपर समय वेतनमान रु.199100 -224100 /- (J-7) में निर्धारित वेतन | देय दिनांक |
|--|---|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| <u>206510/-</u> 19.02.2020 | 12.09.2020 | -- 19.02.2021 19.02.2022 | 211220/- 217560/- 224100/- (Retired on 31/05/2024) | 12.09.2020 01.02.2021 01.02.2022 |

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


(रविशंकर डेकाटे)
ओ०एस०डी०(लेखा)

कमांक.....2/7806 / चार-9-54 / 23


जबलपुर, दिनांक 12 / 11 / 2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह/इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा/पेंशन) एवं सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित)/सहायक(पेंशन), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. रीडर टू रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, सेवानिवृत्त द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रेस्ट हाउस के पास पडरा, सीधी-486661 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

डेमन


ओ०एस०डी०(लेखा)